योजना का नाम	**परित्यक्ता पेंशन**
पात्रता / लाभार्थी	उत्तराखण्ड में निवास करने वाली परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाऐं (जो 40 वर्ष से अधिक की हों) जो बी0पी0एल0 हों अथवा जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से आय रू0 4000/– प्रतिमाह से अधिक न हो। निराश्रित अविवाहित महिला का विवाह होने पर आवेदक अपात्र हो जायेगी।
लाभ	रू0 1200 तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त पति / पत्नी को रू0 1400 प्रति माह दी जाती है।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया

वृद्धावस्था पेंशन के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त के अतिरिक्त :–

- परित्यक्ता महिला के मामले में शादी की अवधि 01 वर्ष से अधिक हो जाने तथा पति के 01 वर्ष से अधिक समय से लापता होने / छोड़े जाने के सम्बन्ध में स्व–घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान / वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
- मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की स्थिति में– सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित पति अथवा पत्नी को मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की स्थिति को अंकित करते हुए धनोपार्जन हेतु अक्षमता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

परित्यक्ता महिला, निराश्रित अविवाहित महिला एवं मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पति अथवा पत्नी के भरण पोषण हेतु अनुदान	रू0 1200/–प्रति माह की दर से तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त पति अथवा पत्नी को रू0 1,400/–प्रति माह की दर से भरण–पोषण अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।	उत्तराखण्ड में निवास करने वाली परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाऐं जो बी0पी0एल0 हो अथवा जिनकी वार्षिक आय रू0 4000/– प्रतिमाह से अधिक न हो,	कमांक 1 में उल्लिखित आवेदन प्रकिया, चयन प्रकिया एवं दस्तावेज समान होगे। उक्त के अतिरिक्त :– • परित्यक्ता महिला के मामले में शादी की अवधि 01 वर्ष से अधिक हो जाने तथा पति के 01 वर्ष से अधिक समय से लापाता होने/छोड़े जाने की सम्बन्ध में सम्बन्धित द्वारा स्वंय घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणीकृत किया गया हो। • मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की स्थिति में– सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित पति अथवा पत्नी को मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की स्थिति को अंकित करते हुए धनोपार्जन हेतु अक्षमता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हों। • निराश्रित अविवाहित महिला का विवाह होने पर आवेदक अपात्र हो जायेगी।

भाग-दो-ब

प्रस्तर:04- परित्यक्ता पेंशन की धनराशि का भुगतान शासकीय दिशा निर्देश के अनुरूप नहीं पाया जाना।

उत्तराखंड शासन के द्वारा दिसम्बर 2011 मे उत्तराखंड मे निवास करने वाली परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी अथवा पति एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना नियमावली-2011 प्रख्यापित किया गया था। यह नियमावली 01 अप्रैल 2012 से उत्तराखंड राज्य मे लागू है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को (बीपीएल) व्यक्तिगत रूप से मासिक सहायता उपलब्ध करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेन्द्रनगर की परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी अथवा पति एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना से संबन्धित लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि मे इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उक्त भरण पोषण का लाभ दिये जाने का विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	दर प्रति माह
2018-19	परित्यक्ता पेंशन - अनुदान संख्या 015	232	2468000/-	2468000/-	00	1000
2019-20	परित्यक्ता पेंशन - अनुदान संख्या 015	260	3151000/-	3151000/-	00	1000
2020-21	परित्यक्ता पेंशन - अनुदान संख्या 015	281	2801000/-	2729000/-	71600/-	1000 @1200 from July 20

लेखापरीक्षा द्वारा परित्यक्ता पेंशन से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि:

1) इस योजना के लाभार्थियों के पात्रता अथवा अपात्रता की पुष्टि हेतु भौतिक सत्यापन किए जाने का प्रावधान है। जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा जनपद में लाभान्वित होने वाले पेंशन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन अभिलेख सिर्फ वर्ष 2020-21 के प्रस्तुत किए गए तथा विगत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के भौतिक सत्यापन से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
2) शासनादेश के पत्र जून 2016 के अनुसार समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड के द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं को पारदर्शी बनाने हेतु आईसीटी के माध्यम से ऑनलाइन क्रियान्वयन हेतु डेटाबेस पोर्टल बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना है। जांच में पाया गया की जनपद में लाभान्वित होने वाले पेंशन लाभार्थियों का कंप्यूटर डेटाबेस तैयार नहीं था, फलत: समय-समय पर (वार्षिक) पेंशनर्स की पात्रता तथा किए गए सत्यापन रिपोर्ट की अद्यतन स्थिति इकाई के पास अनुपलब्ध थी तथा योग्य लाभार्थियों द्वारा शर्तों का अनुपालन की निगरानी ऑनलाइन नहीं हो रहा था।
3) दिशा निर्देशानुसार लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि का भुगतान ऑनलाइन/डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते मे डाली जाएगी। भरण पोषण पेंशन/अनुदान की धनराशि ऑनलाइन सीधे लाभार्थियों को खाते में जमा कराए जाने के निर्देश के बावजूद पेंशन का भुगतान C.B.S. बैंक खातों के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि जमा कराए जाने का प्रकरण पाया गया।

4) उक्त योजना का थर्ड पार्टी ऑडिट किए जाने का प्रावधान है। लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि इकाई मे थर्ड पार्टी ऑडिट से संबन्धित किसी प्रकार के अभिलेख अनुपलब्ध थे।

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि डेटाबेस पोर्टल का कार्यवाही निदेशालय स्तर से अपेक्षित है। लाभार्थियों का भुगतान डीबीटी के माध्यम से न कर एनईएफ़टी के माध्यम से किया जाता है एवं थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराया जाता है।

उक्त प्रकरण को प्रकाश मे लाया जाता है।